FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
महेन्द्रसिंह गोयल पुत्र स्व. सुंदरसिंह गोयल नयावास नं. 2 वार्ड नं 31 जिला सिरोही (राज.)		लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 30/ 2020
R.C.M.S. No. -2020/00127
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकान जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/7/20	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी(जिला रसद अधिकारी) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 7/8/20 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	760,761 21/07/2020
7/8/20	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अव--लोकन से पाया कि लोक सूचना अधिकारी (DSO Pali) के कार्यालय में उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15/7/20 को क्रम संख्या 752 पर दर्ज है जिसकी अपील अवधी 1 माह पश्चात 15/8/2020 को होती है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में अपील दिनांक 6/7/2020 को ही पेश कर दी गई जो अपील अवधी पूर्ण होने से पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गई है। अपील समयावधी पूर्व पेश किये जाने से पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है तथापि जिला रसद अधिकारी के पत्रांक 253 दिनांक 27/7/20 के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कराकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। इस सन्दर्भ में अपीलांट को सूचित भी क[illegible] पत्रावली इस न्यायालय में [illegible] अपील की जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से [illegible]ल शुमार होकर [illegible] से कम है। जिला कलक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:31:21 IST
Reason: SelfAttested